संख्या– 621 (1)/11–6–2014–एम (124)/97 टी0 सी0

प्रेषक,

एस0 एन0 प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उ0प्र0।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 12 सितम्बर, 2014

विषयः छविगृहों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण के लिए अनुदान दिए जाने की योजना में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में छविगृहों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण के लिए अनुदान दिए जाने की योजना के संबंध में शासनादेश संख्या–952/11–क0स0वि0–6–99–20 एम(124)/97 दिनांक 03.11.1999 में व्यवस्था निर्धारित है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–952/11–क0स0वि0–6–99–20 एम(124)/97 दिनांक 03.11.1999 में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त इस शर्त को सम्मिलित कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है कि "डिज़ीटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र में पूंजी निवेश पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ एकल स्कीन सिनेमा व्यवसायियों को ही प्रदत्त किया जायेगा। इस हेतु अनुदान का समायोजन शासनादेश दिनांक 03.11.1999 में दी गयी व्यवस्थानुसार देय मनोरंजन कर से ही किया जायेगा। पृथक रूप से अथवा बजट के माध्यम से कोई अनुदान प्रदत्त नहीं किया जायेगा।"

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण)–अनुभाग–9 के अशासकीय संख्या–ई–9–308/दस–2014, दिनांक 10 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 एन0 प्रसाद)
सचिव।

संख्या– – 621 (1) /11–6–2014,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–4700/प्र0क0–02 (उच्चीकरण)/2013–14, दिनांक 16.12.2013, के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–2150/प्र0क0–02/उच्ची–16/2014–15 लखनऊ,दिनांक 18 सितम्बर,2014

प्रतिलिपिः–समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0पी0 पाण्डेय)